(c) For preparation of pre-feasibility reports, assistance is provided upto Rs. 1 lakh and promoters contribution expected is a minimum of 10 per cent. For the preparation of detailed project reports, a loan of Rs. 3 lakhs is provided with a minimum promoters contribution of 30 per cent. For conducting pilot plant studies prior to commercial launch of an innovative venture, loans upto Rs. 20 lakhs are provided with a minimum promoters' contribution of 30 per cent which could be relaxed to about 20 per cent in case of universities/ academic institutions depending on the merits of the case.

(d) Activities of Biotech Consortium India Ltd., are being conducted only from its registered office in New Delhi at the following address:

BIOTECH CONSORTIUM INDIA LTD.,
G-6, N.D.S.E.-I,
NEW DELHI-110049.

आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित घटिया दवाइयां

1160. **डा० अबरार अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित ऐसी दवाइयों के नाम क्या हैं, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान घटिया पाया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) द्वारा निर्मित औषधों के नाम, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में दिए गए परीक्षण के दौरान घटिया पाया गया, घटिया पाये जाने के कारणों सहित, उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) जबकि कुछ मामलों में राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) को कारण बताओ नोटिस दिया है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से ऐसे मामलों में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा भेजने को कहा है ।

विवरण

मैसर्स आई० डी० पी० एल. गुडगांव (हरियाणा), द्वारा निर्मित और गत पांच वर्षों के दौरान घटिया किस्म की पाई गई औषधों की संख्या

क्रम सं०	औषधि का नाम और बैच संख्या	वर्ष	घटिया पाए जाने के कारण
1	2		3
1.	सल्फासेटामाइड आई ड्राप बैच नं० एस सी—09	1985	विजातीय कण पाए गए
2.	क्लोरेमेफनिकोल पॉम	—तदेव—	घोल एक रूप नहीं है और पिंड शामिल हैं

1	2	3
3. विटामिन कैपसूल्स बैच वी०टी०सी० 0885	1986	थियामिल मोनोनाइट्रेट ईबोफ्लाविन एसकॉर्बिक में असफल है
4. ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर बैच सं० आर० एम 2233	1986	आर्द्र और खराब
5. विटामिन कैपसूल्स बैच सं० 0995	1987	उपयोग हेतु अनुपयुक्त विटामिन सी और फॉलिक एसिड की मात्रा में असफल है
6. मेबेंडाजोल गोलियां बैच सं० 0686	1986	गोलिया रंगीन हैं
7. सल्फासेटामाइड आई ड्राप बैच नं० ओपीडी 21682	1986	घोल गहरे भूरे रंग का है
8. साइमेटिडीन गोलियां बैच सं० सी टी 1185	—	गोलियों की सतहों पर भूरे धब्बे हैं
9. गेनियल बैच नं० जी एन वी-1084	1986	पहचान परीक्षण 1 में असफल
10. डैक्सामिथॉसोन गोलियां बैच नं० 3487	1988	डैक्सामिथाजोन की मात्रा और मात्रा की एकरूपता परीक्षण में असफल
11. ओरल रिहाइड्रेशन मिश्रण बैच नं० ओ पी डी—21682	—	घोल गहरे भूरे रंग का है
12. क्लोरॉमफेनिकोल पॉम ओरल ससपेंशन सी एल 51484	1986	निवल मात्रा मांग की गई मात्रा से कम पाई गई ।
13. लडिजोन गोलियां बैच नं० 12 टी-3487	1988	डैक्समेथाजोन की मात्रा और मात्रा की एकरूपता परीक्षण के संबंध में समरूपता नहीं है ।
14. आईडिग्लोबिन कैपसूल बैच नं० 4886	—	—
15. पॉलीविटामिन गोलिया बैच नं० 2286	—	—
16. विटामिन कैपसूल्स बैच नं० वीटीसी-0865	—	—
17. डाइजेपॅम इंजैक्शन आई पी 1989 सीएमए 0489	1989	विजातीय कण पाये गये ।
18. माला-डी	1990	सफेद गोलियां रंग विहीन है ।

मैसर्स आई. डी. पी. एल., ऋषिकेश, (हरिद्वार) उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित और गत पांच वर्षों के दौरान घटिया किस्म की पाई गई औषधों की संख्या

क्रम सं०	औषध का नाम और बैच नं०	वर्ष	घटिया पाए जाने के कारण
1.	टेट्रासाइक्लिन कैपसूल्स आई पी बैच नं० 6307	1986	सैम्पल पर लेबल नहीं था ।
2.	क्लोरामफेनिकोल कैपसूल्स बैच नं० 1882	1986	सैम्पल पर उचित ढंग से लेबल नहीं लगाया जाता है ।
3.	टैट्रासाइक्लिन कैपसूल्स आइपी बैच नं० 6224	1987	वजन में एकरूपता
4.	जिसियोफुलविन गोलिया बैच नं० 3111	1988	वर्णन के संबंध में (कुछेक गोलियां टूटी हुई पाई गईं) ।
5.	ऑटसिन इंजेक्शन बैच नं० 117/सी	1989	वर्णन के संबंध में (पीला रंगीन अवक्षेप तले पर जमा पाया गया) ।
6.	टेट्रासाइक्लिन कैपसूल्स बैच नं० 6770	1989	लेबल पर कैपसूल्स के खोल का रंग घोषित नहीं था ।

बड़ी फर्मों द्वारा निर्यात लाभों का दुरुपयोग

1161. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री धूलेश्वर मीणा :
श्री चतुरानन मिश्र :
श्री बी० नारायणसामी :
श्री राम जेठमलानी :
श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्पोर्ट बेनिफिट्स मिसयूज्ड बाइ बिग फार्मस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन्स्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त विज्ञप्ति में लगाए गए आरोपों एवं बताई गई खामियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) जी हां । इस संबंध में औद्योगिक नीति और व्यापार नीति में परिवर्तन करके तथा वर्ष 1991–92 के बजट के रूप में अनेकों सुधारात्मक उपाय किए गए हैं । इनमें से महत्वपूर्ण उपाय हैं—आयात को एक्सिसस्क्रिप के माध्यम से निर्यात के साथ जोड़ना, आरपीए देशों को किये जाने वाले निर्यात के सामले में आरपीए देशों से आयात करना, संपरिवर्तनीय मुद्रा के रूप में सभी निर्यात पर तथा केवल संपरिवर्तनीय मुद्रा में की जाने वाली सभी निर्यात संविदाओं पर सभी निर्यात दायित्व लागू करना आदि ।